अध्याय III

रोजगार सृजन

अध्याय III: रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य इच्छुक परिवारों जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं, को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है।

3.1 श्रमिकों का पंजीकरण

मनरेगा के तहत अकुशल रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले परिवार जॉब कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के अधिकारों को दर्ज करता है और पंजीकृत परिवारों को कानूनी रूप से कार्य के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत, विभाग को पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना होता है और जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवारों के आवेदन के सत्यापन के बाद, जॉब कार्ड जारी किया जाता है। परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने की मुख्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है।

चार्ट 3.1: जॉब कार्ड जारी करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

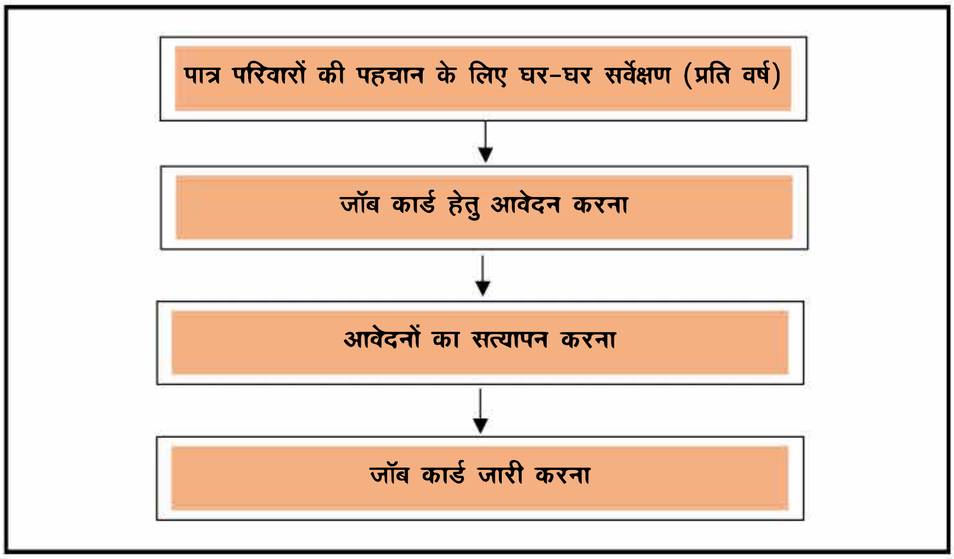

(स्रोतः परिचालन दिशानिर्देश, 2013)

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों और परिवारों की संख्या **चार्ट 3.2** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.2 : 2019-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों और व्यक्तियों की संख्या

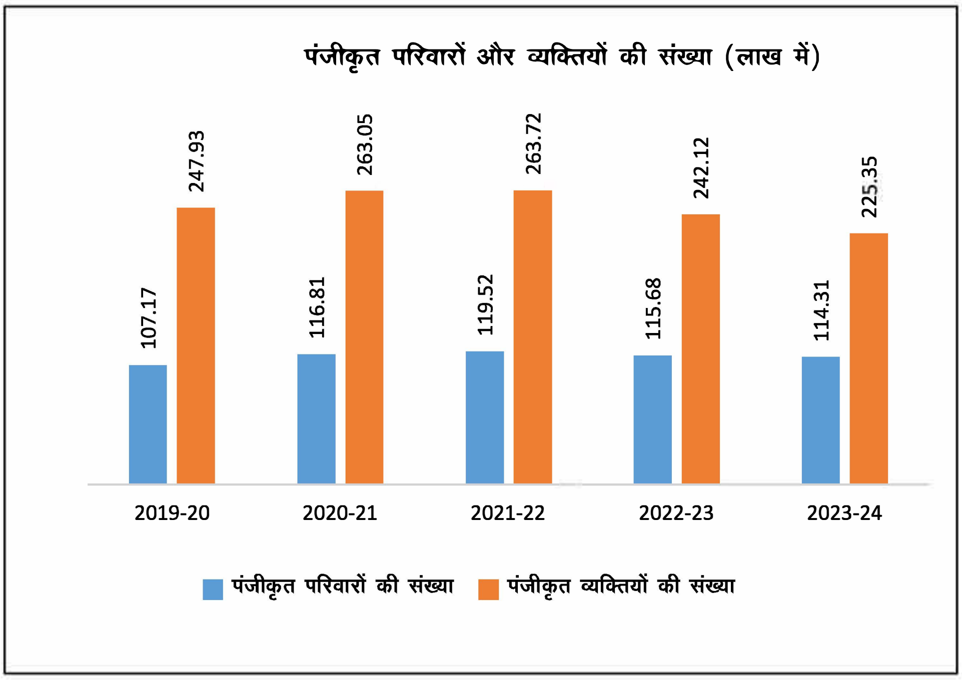

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्य में योजना के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या में 6.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

घर-घर सर्वेक्षण, जॉब कार्ड और मजदूरी एवं मुआवजे के भुगतान से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2 घर-घर सर्वेक्षण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.1.1 (ii) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष घर-घर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि उन पात्र परिवारों की पहचान की जा सके जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-2024 के दौरान नमूना जाँच जांच की गई 40 ग्राम पंचायतों में से किसी में भी पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। घर-घर सर्वेक्षण के अभाव में, इन 40 ग्राम पंचायतों में ऐसे पात्र परिवारों के वंचित रह जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (सितंबर 2025) कि नागौर में नरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार घर-घर सर्वेक्षण किए गए थे, लेकिन संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किए गए

थे और संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज मांगे गए हैं। जैसलमेर में, सभी विकास अधिकारियों को अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। अन्य जिलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.3 जॉब कार्ड

3.3.1 पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 3.1.2 (i) और 3.1.5 (i) यह अनुबंध करते हैं कि जिन परिवारों में वयस्क सदस्य हैं और जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अकुशल रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन की तिथि से एक पखवाड़े के भीतर परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी।

जुलाई 2025 तक राज्य में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों की संख्या और जारी किए गए जॉब कार्डों की स्थिति **चार्ट 3.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.3: जुलाई 2025 तक राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों की संख्या और जारी किए गए जॉब कार्यों की संख्या

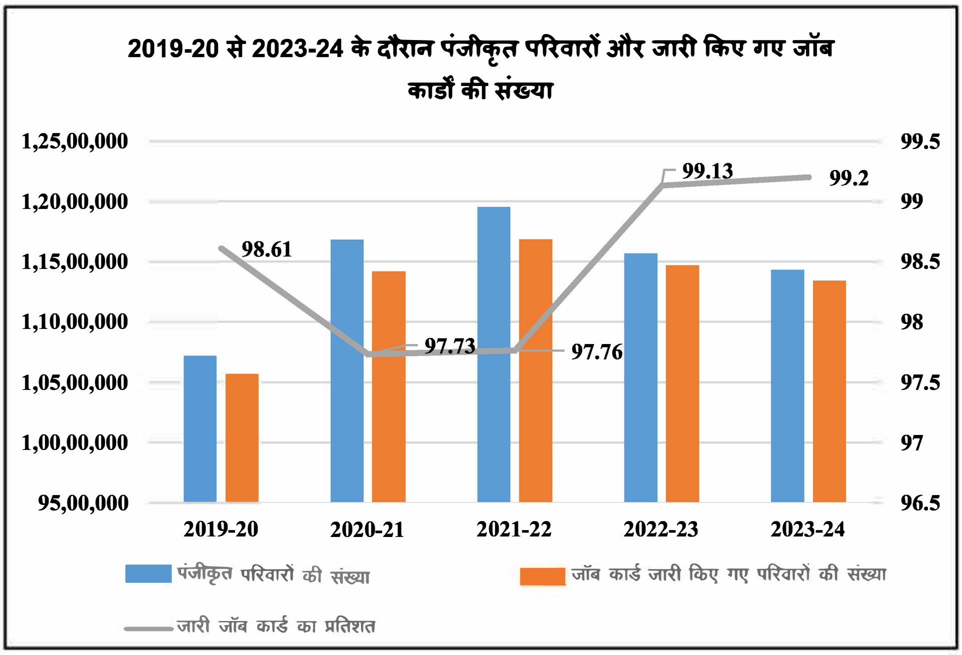

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, राज्य में पंजीकृत परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्डों का प्रतिशत 97.73 से 99.20 के बीच रहा।

कारण यह हो सकता है कि पंजीकरण के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में परिवार के सदस्य पात्र नहीं थे।

3.3.2 जॉब कार्ड में पाई गई कमियां

परिचालन दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.1.5 के अनुसार, जॉब कार्ड का प्रपत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवार से संबंधित स्थायी जानकारी के साथ-साथ मनरेगा के तहत काम चाहने वाले वयस्क सदस्यों के रोजगार विवरण और फोटोग्राफ शामिल हों। इसके अलावा, जॉब कार्ड के प्रारूप के अनुसार, जॉब कार्ड के प्रमाणीकरण के लिए परिवार के मुखिया, सरपंच और सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में 400 जॉब कार्डों की जांच की और पाया कि :

I. 262 जॉब कार्डों (65.50 प्रतिशत) में किए गए कार्य की तिथियों की प्रविष्टियां अधूरी पाई गईं।

II. 251 जॉब कार्डों (62.75 प्रतिशत) में किए गए भुगतान के कोई विवरण दर्ज नहीं थे।

III. 134 जॉब कार्डों (33.50 प्रतिशत) में हस्ताक्षर कॉलम खाली थे।

IV. 83 जॉब कार्डों (20.75 प्रतिशत) में कोई फोटोग्राफ संलग्न नहीं थी और 115 जॉब कार्डों (28.75 प्रतिशत) में केवल एक सदस्य की फोटोग्राफ संलग्न थी।

इस प्रकार, दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जॉब कार्ड संधारित नहीं थे।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि जैसलमेर और नागौर के सभी विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक पखवाड़े के अंत में जॉब कार्ड अद्यतन करने के निर्देश दिए गए है। अन्य जिलों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.4 रोजगार के लिए जागरूकता पैदा करना

मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निबंधन ग्रामीण लोगों और अन्य हितधारकों, विशेष रूप से मनरेगा श्रमिकों के बीच योजना के प्रावधानों के साथ-साथ उनके अधिकारों और हकों के संबंध में जागरूकता पैदा करना है।

3.4.1 सूचना शिक्षा संचार (आईईसी)

परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 का अनुच्छेद 5.4.2 यह प्रावधान करता है कि सभी राज्यों को योजना की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना विकसित करनी चाहिए, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों के साथ-साथ योजना से लाभान्वित होने वाले अन्य समूहों तक पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाए। आईईसी योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-2024 के दौरान राज्य स्तर पर कोई आईईसी योजना तैयार नहीं की गई थी। हालांकि, नरेगा-सॉफ्ट के एमआईएस आंकड़ों के अनुसार, 2021-24 के दौरान पूरे राज्य में दीवार पेंटिंग, विज्ञापन, डिस्प्ले बोर्ड, पुस्तिका मुद्रण, शिविर आयोजन इत्यादि जैसी आईईसी गतिविधियों पर ₹ 30.62 करोड़[1] का व्यय हुआ।

नरेगा-सॉफ्ट के एमआईएस आंकड़ों के अनुसार, 2021-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में ₹ 8.16 करोड़ (बांसवाड़ाः ₹ 3.59 करोड़, चित्तौड़गढ़ः ₹ 0.45 करोड़, जैसलमेरः ₹ 1.38 करोड़, कोटाः ₹ 0.22 करोड़ और नागौरः ₹ 2.52 करोड़) का व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने फील्ड अध्ययन (जुलाई से नवंबर 2024) के दौरान नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों के 400 लाभार्थियों का प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किया और पाया कि :

- केवल 138 (34.5 प्रतिशत) लाभार्थी मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के अपने अधिकार के बारे में जानते थे।
- केवल 231 (57.75 प्रतिशत) लाभार्थी इस बात से अवगत थे कि मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना है।
- 400 लाभार्थियों में से 96 (24 प्रतिशत) को जॉब कार्ड मिलने के बाद रोजगार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी।
- केवल 36 (9 प्रतिशत) लाभार्थियों को ही गांव में किए गए सामाजिक लेखापरीक्षाओं के बारे में जानकारी थी।

[1] 2021-22: ₹6.07 करोड़, 2022-23: ₹15.67 करोड़ और 2023-24: ₹8.88 करोड़।

3.4.2 रोजगार दिवस (रोजगार गारंटी दिवस) का आयोजन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.3 (i) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को महीने में कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना चाहिए। रोजगार दिवस आवेदन प्रक्रिया, सूचना का प्रकटन कार्य आवंटन, मजदूरी भुगतान और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान आदि के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-24 की अवधि के दौरान, नमूना जांच की गई 40 ग्राम पंचायतों में से पांच[2] ग्राम पंचायतों ने रोजगार दिवस का आयोजन किया, 29 ग्राम पंचायतों ने कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए और शेष छह[3] ग्राम पंचायतों ने अवगत कराया कि रोजगार दिवस आयोजित किए गए थे, लेकिन संबंधित अभिलेख नहीं रखे गए।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि जैसलमेर, बांसवाड़ा और नागौर जिलों के सभी विकास अधिकारियों को रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक गुरुवार को रोजगार दिवस आयोजित करने के निर्देश नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.5 मनरेगा के अंतर्गत प्रदान किया गया रोजगार

पंजीकृत परिवारों की संख्या, पंजीकृत परिवारों द्वारा मांगे गए कार्य, रोजगार की पेशकश किए गए परिवारों की संख्या, रोजगार से वंचित परिवारों की संख्या और 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले परिवारों की संख्या **तालिका 3.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.1: जुलाई 2025 तक राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान माँगा गया और प्रदान किया गया रोजगार।

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (%)	रोजगार की पेशकश किए गए परिवारों की संख्या (%)	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (%)	100 दिनों का रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या (रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के सापेक्ष प्रतिशत) (%)
1	2	3	4	5	6	7
2019-20	1,07,17,276	1,05,68,002	62,04,067 (58.71)	62,02,188 (99.97)	55,74,419 (89.88)	8,48,695 (15.22)

[2] ग्राम पंचायतः भोयर, चिरावालागाडा, डोलिया, गोलियावाड़ा और कसार।

[3] ग्राम पंचायतः डुंगरा कलां, गोडा, जगपुरा, मंगलपुरा, मस्का महुडी और महुडी।

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या	जॉब कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (%)	रोजगार की पेशकश किए गए परिवारों की संख्या (%)	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (%)	100 दिनों का रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या (रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों के सापेक्ष प्रतिशत) (%)
1	2	3	4	5	6	7
2020-21	1,16,80,539	1,14,15,781	80,57,589 (70.58)	80,56,217 (99.98)	75,42,536 (93.62)	12,31,428 (16.33)
2021-22	1,19,51,663	1,16,83,935	76,05,899 (65.10)	76,04,790 (99.99)	70,80,122 (93.10)	9,91,738 (14.00)
2022-23	1,15,67,931	1,14,67,592	68,26,480 (59.53)	68,24,820 (99.98)	63,45,619 (92.98)	4,53,482 (7.15)
2023-24	1,14,30,651	1,13,38,669	67,39,627 (59.44)	67,37,591 (99.97)	63,85,192 (94.77)	5,09,350 (7.98)

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2019-24 के दौरान केवल 58.71 प्रतिशत से 70.58 प्रतिशत जॉब कार्ड धारक परिवारों ने ही इस योजना के तहत रोजगार की मांग की। हालांकि रोजगार की मांग करने वाले 99.96 प्रतिशत से अधिक जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की पेशकश की गई, लेकिन केवल 89.88 प्रतिशत से 94.77 प्रतिशत परिवारों ने ही रोजगार प्राप्त किया और रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों में से केवल 7.15 प्रतिशत से 16.33 प्रतिशत को ही 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया।

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान परिवारों द्वारा औसतन प्राप्त रोजगार के दिनों की संख्या नीचे **चार्ट 3.4** में दर्शाई गई है:

चार्ट 3.4: 2019-20 से 2023-24 के दौरान परिवारों द्वारा औसतन प्राप्त रोजगार के दिनों की संख्या

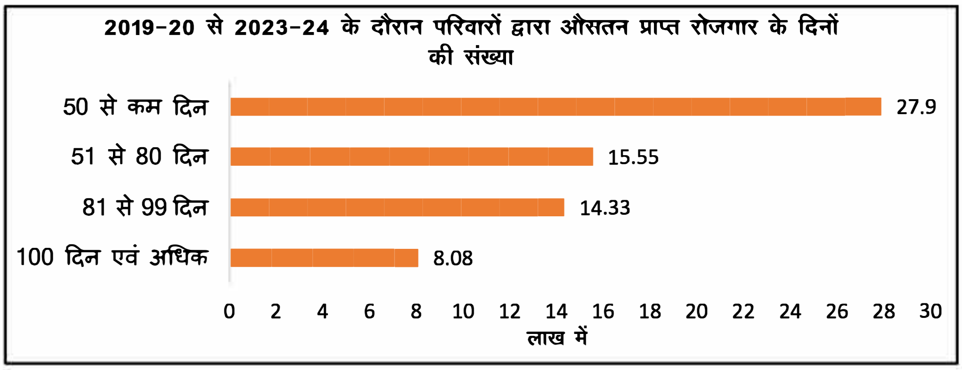

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि औसतन 27.90 लाख परिवारों (42.36 प्रतिशत) ने 50 दिनों से कम का रोजगार प्राप्त किया, जबकि 8.08 लाख परिवारों (12.26 प्रतिशत) ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान 100 दिनों या उससे अधिक का रोजगार प्राप्त किया।

नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में 400 लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 96.50 प्रतिशत लाभार्थियों (400 में से 386 लाभार्थी) ने उत्तर दिया कि पिछले वर्ष (2023-24) में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि जैसलमेर जिले के सभी विकास अधिकारियों को इस संबंध में भविष्य में सुधार के प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ और नागौर जिलों में, सभी श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार प्रदान किया गया है और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। कोटा और बांसवाड़ा जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.5.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करना

मनरेगा की अनुसूची II यह प्रावधान करती है कि महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी, कि पंजीकृत और कार्य के लिए अनुरोध करने वाले लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं हों।

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत नियोजित महिलाओं का जिलावार प्रतिशत नीचे **चार्ट 3.5** में दिया गया है।

चार्ट 3.5: 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल नियोजित व्यक्तियों में से जिलेवार महिला श्रमिकों का प्रतिशत

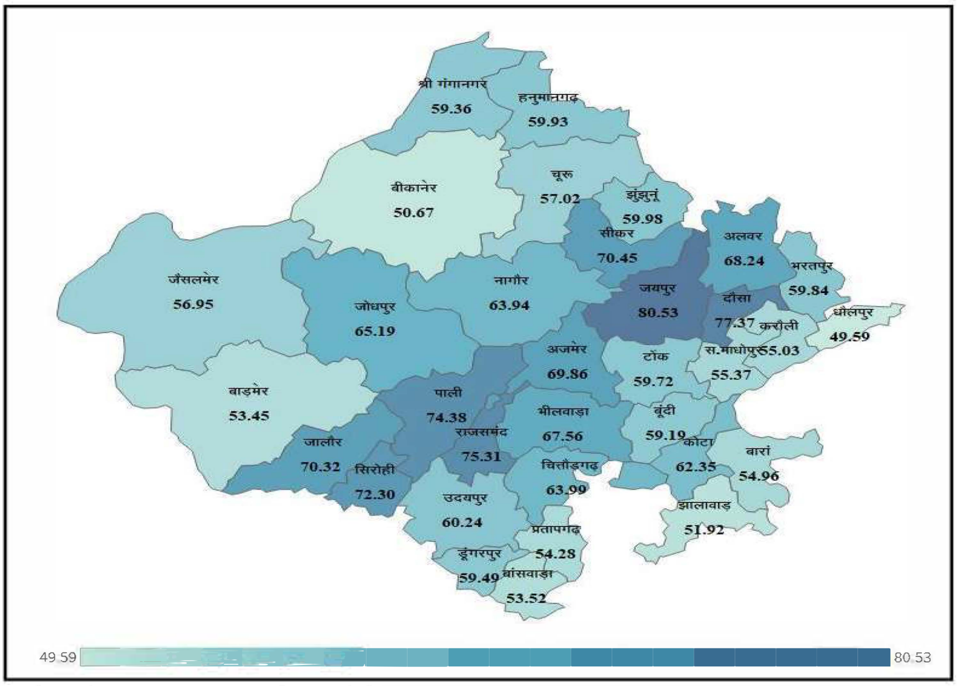

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

जैसा कि **चार्ट 3.5** से देखा जा सकता कि योजना में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 49.59 प्रतिशत तथा 80.53 प्रतिशत के बीच था और जयपुर जिले में यह सर्वाधिक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के सभी जिलों में योजना के तहत रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल सृजित रोजगार के एक तिहाई से अधिक था।

3.5.2 विशेष योग्यजनों को रोजगार प्रदान करना

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 9.3.9 यह प्रावधान करता है कि सभी विशेष योग्य जनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों की पहचान करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी गांवों में उनके परिवारों को 100 दिनों का कार्य प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

विशेष योग्य जनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों के लिए कोई विशेष अभियान न चलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि राज्य में जिला स्तर पर विशेष योग्य जनों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए कमजोर समूह समन्वयक का कोई पद नहीं है। हालांकि, विशेष योग्य जनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

एमआईएस की संवीक्षा से पता चला कि राज्य में 2019-2024 के दौरान पंजीकृत विशेष योग्य जनों को 29.53 प्रतिशत तथा 42.98 प्रतिशत के बीच रोजगार प्रदान किया गया और औसत रोजगार दिवस 38 से 44 दिन के बीच रहा। विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है :

तालिका 3.2: 2019-24 के दौरान राज्य में पंजीकृत विशेष योग्य जनों को रोजगार सृजन का विवरण

वर्ष	पंजीकृत विशेष योग्य जनों की संख्या	विशेष योग्य जनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशत	वर्ष के दौरान औसत रोजगार दिवस
2019-20	75034	22160	29.53	38
2020-21	79840	31677	39.67	40
2021-22	86199	30238	35.08	41
2022-23	72772	29599	40.67	40
2023-24	68458	29427	42.98	44

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

इसके अलावा, यह पाया गया कि 2019-24 के दौरान कार्य की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का आंकड़ा न तो नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज किया गया था और न ही कोई पुख्ता भौतिक

अभिलेख रखा गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा में काम की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि जैसलमेर जिले के सभी विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और भविष्य में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। बांसवाड़ा और नागौर जिलों में विशेष योग्य जनों को उनकी मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाकर इस दिशा में अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। कोटा और चित्तौड़गढ़ जिलों के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

3.6 बेरोजगारी भत्ता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 3.5 यह प्रावधान करता कि यदि किसी आवेदक को उसके रोजगार मांगने वाले आवेदन प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, जो पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होगा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा। सचिव, ईजीएस द्वारा जारी आदेश (अप्रैल 2011) के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता समय पर भुगतान न किए जाने की स्थिति में जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भुगतान किए जाने वाले ₹ 54.09 लाख के बेरोजगारी भत्ते के विरुद्ध जुलाई 2024 तक परिवारों को केवल ₹ 1.18 लाख (2.18 प्रतिशत) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 3.3** में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: जुलाई 2025 तक राज्य में बकाया बेरोजगारी भत्ता

(₹ लाख में)

वर्ष	देय बेरोजगारी भत्ते की राशि	भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता	बकाया बेरोजगारी भत्ते की राशि
2019-20	11.48	0	11.48
2020-21	7.02	1.16	5.86
2021-22	24.81	0	24.81
2022-23	9.41	0	9.41
2023-24	1.37	0.02	1.35
योग	**54.09**	**1.18**	**52.91**

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में, केवल बांसवाड़ा जिले में ही जुलाई 2024

तक परिवारों को ₹ 7.44 लाख[4] का बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था। इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक बांसवाड़ा ने जवाब (जुलाई 2024) दिया कि संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वे दोषी अधिकारियों से वसूल कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करें। अन्य नमूना जाँच किए गए जिलों में कोई बेरोजगारी भत्ता बकाया नहीं था।

जैसा कि ऊपर तालिका 3.3 से देखा जा सकता है कि ₹ 52.91 लाख का बेरोजगारी भत्ता बकाया था। हालांकि, 2019-24 की अवधि के लिए एमआईएस रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में से 32 ग्राम पंचायतों ***(परिशिष्ट 3.1)*** में 6026 श्रमिकों को ₹ 80.26 लाख का बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, जो राज्य के आंकड़े से अधिक है। लेखापरीक्षा (मई 2025) द्वारा मांगे जाने पर भी, इस विसंगति का कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 400 लाभार्थियों में से केवल 63 (15.75 प्रतिशत) को ही यह जानकारी थी कि यदि कार्य के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि ₹52.91 लाख में से ₹37.36 लाख बकाया बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कर दिया गया है और जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करके शेष बेरोजगारी भत्ते की राशि का भुगतान करें।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत और राज्य स्तर पर अदा किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की राशि में विसंगति के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

3.7 मजदूरी एवं मुआवजे का भुगतान

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची II का अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि श्रमिकों को मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद भुगतान में हुई देरी के लिए प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से 'विलंब मुआवजा' प्राप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जून 2014) के अनुच्छेद 4 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद मजदूरी के भुगतान में हुई देरी के लिए देय मुआवजे की राशि का निर्णय करेगा।

---

[4] अवधि 2019-20 (₹2.66 लाख)। 2020-21 (₹4.15 लाख), 2021-22 (₹0.56 लाख) और 2022-23 (₹0.07 लाख)।

नरेगा-सॉफ्ट में उपलब्ध एमआईएस से लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिस्टम फंड ट्रांसफर ऑर्डर अपलोड होने तक मुआवजे की गणना करता है। सार्वजनिक डोमेन में कोई एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जो द्वितीय चरण तक यानी लाभार्थियों के खाते में मजदूरी के वास्तविक रूप से जमा होने तक मजदूरी के भुगतान में हुई देरी के कारण मुआवजे की समेकित स्थिति दर्शाती हो। विभाग ने तथ्य स्वीकार किए (सितंबर 2025) और अवगत कराया कि द्वितीय चरण का संचालन भारत सरकार से संबंधित है।

एमआईएस डेटा (चरण-1) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सितंबर 2025 तक, राज्य में 2019-24 के दौरान ₹948.54 करोड़ की मजदूरी के भुगतान के 19.03 करोड़ लेन-देनों में से 53.75 लाख (2.82 प्रतिशत) लेन-देन निर्धारित समय सीमा से 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किए गए थे। मनरेगा श्रमिकों को विलंबित भुगतानों का विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है :

तालिका 3.4: मजदूरी के विलंबित भुगतानों का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विलंबित भुगतान								कुल विलंबित भुगतान		वर्ष में कुल भुगतान	
	16-30 दिन		31-60 दिन		61-90 दिन		90 दिन से ज्यादा					
	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि	लेन-देन	राशि
2019-20	135490	20.09	6841	1.01	412	0.07	1229	0.14	143972	21.30	31815698	4760.20
2020-21	144661	24.16	24136	3.70	3201	0.48	2730	0.46	174728	28.80	44570669	7802.31
2021-22	231604	37.79	34546	5.82	3640	0.65	8644	1.41	278434	45.67	41117147	7740.06
2022-23	2274664	400.94	2174220	389.14	32911	5.75	20010	3.62	4501805	799.46	35399182	6773.78
2023-24	236987	45.83	34160	6.54	3991	0.73	1342	0.21	276480	53.31	37437151	7531.54
कुल	**3023406**	**528.81**	**2273903**	**406.2**	**44155**	**7.68**	**33955**	**5.84**	**5375419**	**948.54**	**190339847**	**34607.89**
कुल विलंबित भुगतान का प्रतिशत		**55.75**		**42.83**		**0.81**		**0.61**		**2.74**		

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

नरेगा-सॉफ्ट में मौजूद आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि 2019-24 के दौरान ₹4.95 लाख का मुआवजा भुगतान के लिए अनुमोदित किया था, जिसमें से ₹4.29 लाख का भुगतान हो चुका था और ₹ 0.66 लाख का भुगतान लंबित था। इसके अलावा, ₹ 662.28 लाख का मुआवजा अस्वीकृत कर दिया गया था, जिसके लिए नरेगा सॉफ्ट में दो कारण दर्ज किए गए थे, अर्थात् (i) प्राकृतिक आपदाएं और (ii) मुआवजा देय नहीं था। हालांकि, नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज कारणों की सत्यता की जांच के लिए कोई ऑडिट ट्रेल उपलब्ध नहीं थी। मुआवजे की बड़ी राशि को अस्वीकृत करने के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछताछ करने पर, विभाग ने

अवगत (सितंबर 2025 में) कराया कि मुआवजे का भुगतान तभी किया जाता है जब देरी संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के कारण हुई हो, अन्यथा मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सभी कार्यक्रम अधिकारियों को मुआवजे की अस्वीकृति से संबंधित विशिष्ट रिकॉर्ड रखने के निर्देश दे दिए गए हैं।

राज्य में वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित भुगतान किए गए और अस्वीकृत मुआवजे का विवरण **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: सितंबर 2025 तक राज्य में अनुमोदित, भुगतान किए गए और अस्वीकृत मुआवजे का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.स.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
1	गणना किया गया मुआवजा	8.59	20.04	50.24	728.89	23.27	**831.03**
2	अनुमोदित मुआवजा	0.79	2.39	0.36	1.28	0.13	**4.95**
3	मुआवजा अभी सत्यापित होना शेष है	2.09	4.72	13.09	139.78	4.12	**163.80**
4	मुआवजा अस्वीकृत (क्रम संख्या 1-2-3)	5.71	12.93	36.79	587.83	19.02	**662.28**
5	अनुमोदित राशि में से भुगतान किया गया मुआवजा	0.48	2.39	0.35	1.04	0.03	**4.29**
6	अदत्त मुआवजा (क्रम संख्या 2-5)	0.31	0.00	0.01	0.24	0.10	**0.66**

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड किए गए डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित)

इसके अलावा, चयनित पांच जिलों में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान भुगतान के लिए अनुमोदित ₹ 25,203 के मुआवजे में से केवल ₹ 569 का ही भुगतान किया गया, और ₹ 24,634 का भुगतान लंबित था। **तालिका 3.6** में दर्शाए अनुसार, अधिकतम मुआवजा ₹ 24,622 जैसलमेर जिले में लंबित था।

तालिका 3.6: सितंबर 2025 तक 2019-24 के दौरान चयनित जिलों में अनुमोदित, भुगतान किए गए और अस्वीकृत मुआवजे का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.स.	विवरण	बांसवाडा	चित्तौड़गढ	जैसलमेर	कोटा	नागौर	कुल
1	गणना किया गया मुआवजा	1931489	1160283	614032	846302	7862281	**12414387**
2	अनुमोदित मुआवजा	32	547	24622	0	2	**25203**
3	मुआवजा अभी सत्यापित होना शेष है	172991	83857	231142	441506	4829359	**5758855**

क्र.स.	विवरण	बांसवाडा	चित्तौड़गढ	जैसलमेर	कोटा	नागौर	कुल
4	मुआवजा अस्वीकृत (क्रम संस्या 1-2-3)	1758466	1075879	358268	404796	3032920	**6630329**
5	अनुमोदित राशि में से भुगतान किया गया मुआवजा	22	547	0	0	0	**569**
6	अदत्त मुआवजा (क्रम संस्या 2-5)	10	0	24622	0	2	**24634**

(स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड किए गए डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित)

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) करवाया कि जैसलमेर जिले के सभी विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दी जाएगी।

3.8 निष्कर्ष और सिफारिशें

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, हालांकि राज्य में 97.73 प्रतिशत तथा 99.20 प्रतिशत के मध्य पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन वे पात्र परिवार जो छूट गए हैं या पंजीकृत होना चाहते हैं की पहचान के लिए नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया। जॉब कार्ड के संधारण में कई कमियां पाई गई थी, जैसे कि किए गए कार्य की तिथियों और भुगतान के विवरण की अधूरी प्रविष्टियां, हस्ताक्षर कॉलम का खाली रहना, परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ नहीं होना आदि।

2019-24 की अवधि के दौरान, राज्य स्तर पर कोई भी आईईसी योजना तैयार नहीं की गई और नमूना जांच की गई 72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने इस अवधि के दौरान कोई रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए।

सितंबर 2025 तक, राज्य में 2019-24 के दौरान राशि ₹ 948.54 करोड़ के मजदूरी भुगतान के 2.82 प्रतिशत लेनदेन निर्धारित समय सीमा से 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किए गए थे। लाभार्थियों को उनके आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान न करने के मामले सामने आए, जैसे कि जुलाई 2025 तक राज्य स्तर पर 2019-24 की अवधि के लिए ₹ 52.91 लाख का बेरोजगारी भत्ता लंबित था।

मजदूरी के विलम्बित भुगतान के कारण गणना किए गए मुआवजे का 80 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा और मुआवजे के देय न होने जैसे मनमाने कारणों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया, जिससे मुआवजे के वितरण में लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर चिंता उत्पन्न होती है।

सिफारिशें:

4. *राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करे कि वें परिवारों के पंजीकरण के लिए वार्षिक रूप से घर-घर सर्वेक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि जॉब कार्ड सभी प्रकार से पूर्ण और सुव्यवस्थित हों।*

5. *राज्य सरकार नियमित रूप से रोजगार दिवस आयोजित करने के अतिरिक्त आईईसी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी करे।*

6. *राज्य सरकार श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करे, मजदूरी के समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मुआवज़े की बड़ी राशि को अस्वीकार किए जाने के कारणों की समीक्षा करे और बेरोजगारी भत्ता वितरित करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करे।*